



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 3, 2019/भाद्र 12, 1941

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 3, 2019/BHADRA 12, 1941

सं. 511]

No. 511]

पोत परिवहन मंत्रालय

(पी.एच.आर.डी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 628(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा तूतुकुडि पत्तन न्यास (व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास के नाम से पुनर्नामित) के न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा निर्धारित तूतुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 को अनुमोदित करती है।

2. यथा अनुमोदिन उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व.उ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड, तूतुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2008 में एतद्वारा संशोधन करने के लिए पुनः निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. (1) इन विनियमों को तूतुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. तूतुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2008 में, अनुसूची में "तूतुकुडि पत्तन न्यास के सामान्य प्रशासन विभाग के निजी सचिव (श्रेणी-1) के लिए भर्ती नियम" शीर्षक के अंतर्गत, अध्यक्ष के निजी सचिव के पद के विरुद्ध, कॉलम 9 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"आयु : नहीं

योग्यता : हां"

[मि. सं. पी.आर.-12016/7/2018-पी.ई.-1]

केलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2019

G.S.R. 629(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019, made by the Board of Trustees of the Kolkata Port Trust, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Kolkata Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Kolkata Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2013, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Kolkata Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval thereto by the Central Government in the official gazette.

2. In the Kolkata Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2013,—

(I) in the SCHEDULE OF KOLKATA DOCK SYSTEM, under the heading “Recruitment Rules for Private Secretaries in General Administration Department, (Main Admn.)” against serial number 1 relating to the post of PS to Dy.CH/Chairman, in column 9, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“(a) No

(b) Yes

(c) No”

(II) in the SCHEDULE OF HALDIA DOCK COMPLEX, under the heading “RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POST OF PRIVATE SECRETARIES UNDER GENERAL MANAGER (M&S)” against serial number 1 relating to the post of PS to Dy.Chairman, in column 9, for the entries, the following entries shall be substituted, namely:—

“(a) No

(b) Yes

(c) No”

[F. No. PR-12016/7/2018-PE-I]

KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

Footnote : The Principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 687 (E), dated the 15th October, 2013 and was subsequently amended vide number—

(i) G.S.R. 23 (E), dated the 26th December, 2014;

(ii) G.S.R. 602 (E), dated the 31st July, 2015;

(iii) G.S.R. 724(E), dated the 18th September, 2015;

(iv) G.S.R.151 (E), dated the 08th February, 2016;

(v) G.S.R. 1149(E), dated the 16th December, 2016;

(vi) G.S.R. 506 (E), dated the 24th May, 2017; and

(vii) G.S.R. 849(E), dated the 10th September, 2018

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 629(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए तथा इस अधिसूचना में अनुबंधित अनुसूची में यथा निर्धारित कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 को अनुमोदित करती है।

2. यथा अनुमोदिन उक्त विनियम शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963, (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलकाता पत्तन न्यास का न्यासी बोर्ड, कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2013 में एतद्वारा संशोधन करने के लिए पुनः निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः-

1. (1) इन विनियमों को कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम केंद्र सरकार के अनुमोदन से शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2013 में,-

(I) कोलकाता गोदी प्रणाली की अनुसूची में "सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य प्रशासन) में निजी सचिव हेतु नियुक्ति नियम" शीर्षक के अंतर्गत, क्रम सं. 1 में उपाध्यक्ष/अध्यक्ष के निजी सचिव के पद के विरुद्ध, कॉलम 9 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(क) नहीं

(ख) हां

(ग) नहीं"

(II) हल्दिया गोदी परिसर की अनुसूची में "महाप्रबंधक (एमएंडएस) के तहत निजी सचिवों के श्रेणी-1 पदों हेतु नियुक्ति नियम" शीर्षक के अंतर्गत, क्रम सं. 1 में उपाध्यक्ष के पी.एस. के पद के विरुद्ध, कॉलम 9 में की गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(क) नहीं

(ख) हां

(ग) नहीं"

[मि. सं. पी.आर.-12016/7/2018-पी.ई.-1]

कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम को भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 687(अ) दिनांक 15 अक्टूबर, 2013 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसके बाद इसे निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया था:-

- (i) सा.का.नि. सं. 23(अ) दिनांक 26 दिसम्बर, 2014
- (ii) सा.का.नि. सं. 644(अ) दिनांक 31 जूलाई, 2015
- (iii) सा.का.नि. सं. 724(अ) दिनांक 18 सितम्बर, 2015
- (iv) सा.का.नि. सं. 152(अ) दिनांक 08 फरवरी, 2016
- (v) सा.का.नि. सं. 1149(अ) दिनांक 16 दिसम्बर, 2016
- (vi) सा.का.नि. सं. 506(अ) दिनांक 24 मई, 2017 और
- (vii) सा.का.नि. सं. 849(अ) दिनांक 10 सितम्बर 2018